MP EDUCATION GYAN DEEP https://www.mpeducationgyandeep.in

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्र/ई-स्कूटी/2025-2026/I/487307/2025 भोपाल, दिनांक 09.09.2025

प्रति,

1 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।

2 समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

2 सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग ।

3 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।

4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।

विषय- शिक्षा सत्र 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एवं बालक को निःशुल्क ई-स्कूटी/मोटरराईज्ड प्रदाय किए जाने बावत्।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश मे संचालित शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र एवं छात्रा को निःशुल्क ई-स्कूटी/मोटरराईज्ड प्रदाय किये जाने हेतु योजना क्र. 1139 सत्र 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

2. ऐसी छात्र एवं छात्राऐं पात्र होगी जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (एम.पी.बोर्ड) की हायर सेकेन्डरी (कक्षा 12वीं) में किसी भी संकाय (समस्त संकाय को सम्मिलित कर) में अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रथम प्रयास में टॉप किया हो, को पात्रता होगी।

2.1 विद्यार्थी द्वारा मोटरराईज्ड का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रू. 90,000/- (राशि नब्बे हजार मात्र) एवं ई-स्कूटी हेतु अधिकतम राशि रू.1,20,000/- (राशि एक लाख बीस हजार मात्र) प्रदान की जावेगी। उक्त राशि में वाहन की Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Helmet (2 Nos.) Accessories Etc. सम्मिलित है ।

MP EDUCATION GYAN DEEP https://www.mpeducationgyandeep.in

170233/2025/DPI(Plan)

3. पात्र विद्यार्थी द्वारा वाहन विक्रेता (Dealers) के Showroom पर अपनी पसंद का वाहन चयन कर कोटेशन प्राप्त की जाना होगी, उक्त कोटेशन में वाहन विक्रेता द्वारा Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Accessories Etc. की जानकारी होगी। विद्यार्थीयों द्वारा उक्त कोटेशन अपने शाला प्राचार्य को उपलब्ध कराई जाये, जिसकी सूचना संबंधित शाला प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी को देगें।

4. दिनांक 13.07.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय के प्रतिकक्ष में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण कें बिन्दु क्र 2.6 में दिये गये निर्देश के क्रम में पात्र विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कोटेशन पर जिला शिक्षा अधिकारीयों को सुनिश्चित किया जाना होगा कि बिंन्दु क्र. 2.1 के अतिरिक्त अन्य वाहन जैसे- मोटर बाईक आदि का चयन नहीं किया जाना है।

5. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राचार्यों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Accessories Etc. की जानकारी विमर्श पोर्टल पर दर्ज की जानी होगी, उक्त जानकारी के साथ पात्र विद्यार्थियों के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें खाता क्रमांक एवं IFSC Code संख्या उपलब्ध हो भी दर्ज की जाना होगी।

6. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मोटरराईज्ड के कोटेशन के आधार पर उक्त राशि अथवा अधिकतम राशि रू. 90,000/- (राशि नब्बे हजार मात्र) ई-स्कूटी की स्थिति में अधिकतम राशि रू. 1,20,000/- (राशि एक लाख बीस हजार मात्र) जो भी कम हो पात्र विद्यार्थियों के खाते में एकमुस्त हस्तांन्तरित की जावेगी ।

6.1 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राशि को सीधे कोषालय से विद्यार्थी के खाते में टांसफर किया जायेगा । विद्यार्थी के बैंक खाते को आधार से लिंक किया जायेगा, यदि विद्यार्थी का अपना बैंक खाता नहीं है, तो माता-पिता/अभिभावक के बैंक खातें में राशि को हस्तांतरित किया जायेगा। इस खाते का आधार नंम्बर भी लिया जाऐगा।

6.2 पात्र विद्यार्थियों द्वारा Registration, Insurance, Accessories की राशि संम्बधित/चयनित वाहन विक्रेता के खाते में उपलब्ध/हस्तांतरित की जावेगी । उक्त के आधार पर संम्बधित डीलर Registration, Insurance इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

7. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वाहन विक्रेताओं से संभावित वाहन प्राप्ति दिनांक प्राप्त की जावेगी ताकि, वाहनों का समारोह पूर्व वितरण किया जा सके, उस समारोह से पूर्व अथवा समारोह दिनांक तक पात्र विद्यार्थियों द्वारा वाहन की संम्पूर्ण राशि संम्बधित वाहन विक्रेताओं के खाते में हस्तांन्तरित की जावेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो की वाहन उक्त दिनांक पर पूर्ण भुगतान के साथ प्राप्त हो ।

4

8. जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त योजना अंन्तर्गत बजट आवंटन जारी कर अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान की जावेगी ।

9. वाहन विक्रेता/जिला परिवहन कार्यालय (District Transport Office RTO) Registration के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त वाहन 3 वर्ष तक अन्य किसी को हस्तांन्तरित/विक्रय ना किया जा सके। इस हेतु रजिस्टेशन के वक्त 3 वर्षो के लिए म.प्र. शासन के नाम वाहन का Hypothecation किया जायेगा ।

10. जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराये जाने के उपरांत वाहन का क्रय विद्यार्थी द्वारा कर लिया गया है। किसी भी स्थिति में पात्र विद्यार्थी को राशि उपलब्ध होने के उपरांत वाहन क्रय नहीं किये जाने पर पात्र विद्यार्थी, उनके पालक जन, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी।

11. छात्र एवं छात्रा को निःशुल्क ई-स्कूटी/मोटरराईज्ड योजना अंतर्गत संम्पूर्ण प्रक्रिया के समन्वय एवं निर्देशों हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेंटी का गठन किया जाये:-

1	जिला कलेक्टर	-	अध्यक्ष
2	जिला परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
3	जिला कोषालय अधिकारी	-	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य सचिव

12. निःशुल्क ई-स्कूटी/मोटरराईज्ड वाहनों को जिला स्तर पर समारोह पूर्वक बांटा जाऐगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयावधि में सुनिश्चित की जाये।

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्र/ई-स्कूटी/2025-2026/I/487307/2025 भोपाल, दिनांकः 09.09.2025

1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
2 विशेष सहायक, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
3 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
4 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित विभाग म.प्र. भोपाल।
5 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन परिवहन विभाग/जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय,भोपाल।
6 आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन, भोपाल।
7 समस्त कोषालय अधिकारी,म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8 ऑर्डर बुक।

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

File No. ई-स्कूटी/2025-26/1139/ (Computer No. 707726)
Generated from eOffice by PRAMOD kumar SINGH, DS(PS), DEPUTY SECRETARY, SCHOOL EDUCATION on 09/09/2025 01:39 pm